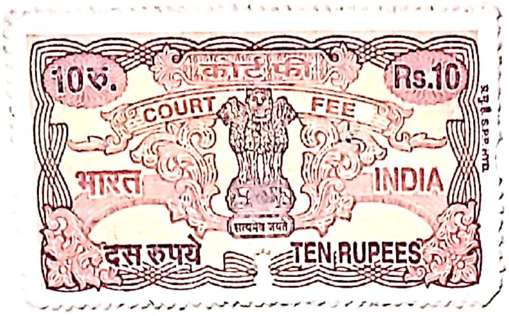

Filling No. MJC	4865	2026
CNR No. MP0901-	037514	2026
Case No. MJC	624	2026

एम जे सी क्रं.
पेश ता 24/04/2026

माननीय बीसवे सदस्य महोदय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इन्दौर के समक्ष

1. **श्रीमती ललिता पति स्व. गजेन्द्र**
   आयु –20 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य
2. **श्री दौलत पिता नरसिंह**
   आयु – 50 वर्ष,
3. **श्रीमती देवकर बाई पति दौलतसिंह**
   आयु – 47 वर्ष
   पता – 99, ग्राम उमरिया खुर्द दूधिया आरक्षी केंद्र खुडैल जिला इन्दौर

—— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. **रवि पिता मोकम सिंह जाटव**
   आयु – 38 वर्ष, व्यवसाय – वाहन चालक
   पता – 54, रामनगर, मूसाखेडी, आरक्षी केन्द्र आजाद नगर, इन्दौर
2. **रावत सिंह सिसोदिया पिता घ्यानसिंह सिसोदिया**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – वाहन स्वामी
   पता – ग्राम बागरूल तहसील हान्डिया, जिला इन्दौर
3. **यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**
   पता – आई. डी. ए, बिल्डींग रेसकोर्स रोड, इन्दौर

—— प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन पत्र सावधि जमा राशि के नगद भुगतान बाबद।

Order Sheet (Contd)

II-156
C.J.

Case No. .... of 20 ....

Date of Order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
15.05.2026	आवेदक द्वारा श्री मुकेश पी जैन अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक की ओर से यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का मकान नेमावर रोड दूधिया में स्थित होकर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तथा टुटने की कगार पर है जिसे नव निर्मित करवाना चाहती है। आवेदिका वयस्क होकर अपना अच्छा बुरा सोचने समझने में सक्षम है। अतः आवेदक के नाम से जमा एफ.डी. राशि का समयपूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया। आवेदक की ओर से आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, मकान निर्मित करने में लगने वाले सामान का कोटेशन, व फोटोग्राफ्स, बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किये गये है। आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क एवम् दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक के नाम से जमा FD कमांक 880556110010274 राशि ₹4,02,600–00 अवधि 2 वर्ष का आज दिनांक तक के ब्याज सहित खाते के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे। इस संबंध में बैंक को पत्र जारी किया जावे। चूंकि उक्त संबंध में एम.जे.सी. में आदेश पारित किया जा रहा है। अतः उक्त आदेश की प्रति क्लेम प्रकरण के साथ संलग्न की जावे। प्रकरण कमांक से कम किया जाकर दाखिल रेकार्ड रूम हो। (आलोक कुमार मिश्रा) सदस्य, बीसवें अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना, इंदौर (म.प्र.)	